न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 178 / 2021

आसफ पुत्र रूजमल जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल रसीद
2. सुलेमान पिसरान छोट खाँ जाति मेव निवासी ग्राम खण्डेवला तहसील पहाडी (भरतपुर)
3. श्रीमान तहसीलदार साहब पहाडी एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी (भरतपुर)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री प्रहलाद सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2

दिनांक :–18 / 01 / 2022

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 347 / 0.81, 351 / 0.26, 353 / 0.81 किता 3 रकबा 1.88 हैक्टर बांके ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 पर मैं प्रार्थी करीब 20–25 सालो से निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ तथा आराजी खसरा नम्बर 347 / 0.81 में मेरी बुर्जगान की कब्रे भी बनी हुई है जो काफी पुरानी है। उक्त आराजी पर मैं काफी अरसे से काबिज काश्त करता चला आ रहा हूँ और आज भी मेरा ही कब्जा है। जिससे अप्रार्थीगण का कभी भी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और ना ही कभी अप्रार्थीगण का आराजी मुत0 पर कब्जा काश्त रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुत0 को राजस्व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कर्मचारियों से मिलकर बिना कब्जे के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम एलॉट कराकर खातेदारी करा ली जो गलत एवं खिलाफ मौका व कब्जा है। जबकि आराजी मुत0 पर कानून कब्जे के आधार पर मुझ प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और अब तक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मुझे आराजी पर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम रिकॉर्ड दर्ज कर देना चाहिये था। लेकिन आराजी मुत0 पर अप्रार्थीगण का नाम खिलाफ कानून व मौका है जिसे कलमजन कराकर उनके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में आराजी पर अपना नाम दर्ज कराकर प्रार्थी अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करापाने का कानूनन पूर्ण अधिकारी है। आराजी अप्रार्थीगण के नाम होने के कारण जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है जिसकी ऐलानिया धमकी दिनांक 27/12/2021 को ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी में स्पष्ट शब्दों में दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि ना हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये चंद रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 27/12/2021 बांके ग्राम चिनावडा में अप्रार्थीगण द्वारा ऐलानिया धमकी देने व दोयम दिनांक 28/12/2021 को नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ। दावा अन्दर म्याद है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये चंद रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि कब्जे काश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करे । दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करें एवं राजस्व रिकॉर्ड मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 10/01/22 को जबाब इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पिता छोटे खां के नाम एलॉट हुई थी। जिस पर छोटे खाँ ने अपने जीवन काल तक काश्त की और छोटे खां के मरने के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण काबिज काश्त है और हाल में आराजी के खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण 1 व 2 है एवं आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का आराजी से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो कि काबिले खारिजी है। आराजी पूर्व में अप्रार्थीगण के नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज हुई थी। अप्रार्थीगण ने ही अपनी आराजी की खातेदारी कराई थी जो कि इन्तकाल नम्बर 880 से खातेदार काश्तकार दर्ज हुई। अप्रार्थीगण ने खातेदार कराते समय हल्का पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

गिरदावर , तहसीलदार पहाडी ने अपनी पूरी जाँच कर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये और अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कराते समय सरकार रकम को राजकोष में जमा करा दिया है। मौके पर आराजी पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है और प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जिससे प्रार्थी के कथनों पर विश्वास किया जा सकें। आराजी पर प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश लिया है जिससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को ही हो रही है एवं सुविधा का सन्तुलन व प्राईमा फैसाई केस अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

01. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम चिनावड़ा में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड संवंत 2075–78 आराजी अप्रार्थीगण की रिकार्डेड खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जिससे प्रमाणित होता हो कि आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थीगण आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण पूर्व में आराजी पर गैर खातेदार की हैसियत से काबिज थे। उसी आधार पर अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जिससे प्रमाणित होता हो कि आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है। अतः रिकॉर्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो असुविधा भी अप्रार्थीगण को ही अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण में ही निहित है।

03. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28/12/2021 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी उप जिला कलक्टर